

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3775/2025

Ramdev @ Amba S/o Shri Rameshwar, Aged About 35 Years, R/o Village Srinagar, Tehsil Nasirabad, District Ajmer, Rajasthan. (At Present Confined At Central Jail Ajmer)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Umesh Dixit, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Tapesht Agarwal, Dy. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

09/04/2025

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-483 के अन्तर्गत पुलिस थाना-रामगंज, जिला-अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-67/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 व 8/29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में पेश किया गया है।
2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया किया गया है। इस मामले में मादक पदार्थ स्मैक 17.33 ग्राम वजनी बाल अपचारी दीपचंद पेपावत उर्फ समीर के कब्जे से दिनांक 21.02.2025 को बरामद किया गया था। दीपचंद के बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में मुलजिम बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार के कोई मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 22.02.2025 को गिरफ्तार किया गया था, तब से ही वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट की धाराओं में अन्य कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। प्रकरण के विचारण में समय

लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

3. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए व्यक्त किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने की प्रार्थना की गई। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांकित 20.03.2025 पेश की गई, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

4. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. हस्तगत प्रकरण में मादक पदार्थ स्मैक 17.33 ग्राम वजनी दीपचंद पेपावत उर्फ समीर नामक बाल अपचारी के कब्जे से बरामद किया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मुलजिम बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं किया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है।

6. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **रामदेव उर्फ अम्बा पुत्र रामेश्वर** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-67/2025, पुलिस थाना-रामगंज, जिला-अजमेर** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास-पचास हजार रुपये** की दो सुदृढ़ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा प्रार्थी/अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह, विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J